

No. 348/2020 Complaint or report made on 26-07-2020
Name and address of the complainant धनरा वैष्णव

Name, parentage, caste and address of accused

- (1) मेनालाल शि. होरा जाति ब्लाई 33 10 वर्ष 120 लीडी
- (2) सुरज शि. लालुराम ब्लाई 33 33 वर्ष
- (3) राधकृष्ण शि. लालू ब्लाई 33 57 वर्ष
- (4) लालकृष्ण शि. चंदर जाति 42 लाल 33 59 वर्ष

The offence complained of, and date of, its alleged commission

तुमने दिनांक 26-7-20 को 1300 बजे स्थान कहरा
जो कि सार्वजनिक स्थान पर तुमने एक दूसरे के साथ
ताश पत्तों का जुआ रूपयों पैसे का दांव लगाकर हारजीत का जुआ खेला और पुलिस द्वारा चेक करने
पर तुम्हारे आधिपत्य से नगदी रूपये 1500/- रुपये एवं 51 तारा पत्ते
जप्त किये गये ।

तुम्हारा उक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक जुआ एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है । अतः
प्रकट करो कि तुम्हें अपराध स्वीकार है अथवा विचारण चाहते हो ।

The plea of the accused and his examination (if any)

आरोपी को अपराध विवरण पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसका अभिवाक है कि :-

मेनालाल
सुरज
राधकृष्ण
लालकृष्ण

(महेश्वरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कानपुर, पश्चिम निवासी (व.प्र.)

The offence proved, if any, and in case under clause (d), clause (e) clause (f) or clause (g) or
Sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been
committed.

(आज दिनांक 18-08-20 को घोषित)

प्राप्त समीचीन शीट पर पढ़कर चुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी/गण ने स्वेच्छया अपराध का
किया। आरोपीगण द्वारा की गयी स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी/गण के
13 जुंआ एक्ट के अपराध में दोषी ठहराते हुए उक्त अपराध की धारा में न्यायालय उठने तक की
एवं रुपये 100+100-200 अक्षरी प्रलेख के लो. लो. के
एण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में आरोपी/गण को
का साधारण कारावास भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल

~~1000/- अक्षरी के लो. लो. के 100+100+100+100~~
~~अक्षरी के लो. लो. के 100+100+100+100~~
~~अक्षरी के लो. लो. के 100+100+100+100~~
~~अक्षरी के लो. लो. के 100+100+100+100~~
1500/- अक्षरी के लो. लो. के 100+100+100+100

यस्य खुले न्यायालय में घोषित
तंकित कर हस्ताक्षरित किया।

मेरे निर्देश पर तंकित

18-08-2020

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
(पश्चिम निमाड)

18-08-2020

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
(पश्चिम निमाड)